छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम

(राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के समदृष्टि घटक अंतर्गत)

मार्गदर्शिका

मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम

उद्धेश्य :–

महाविद्यालयीन विद्यार्थियों में रोजगारपरक क्षमताओं का विकास कर उनमें रोजगार हेतु आत्मविश्वास की वृद्धि करना तथा उनकी रचनात्मक प्रतिस्पर्धी क्षमताओं का उन्नयन करना । इसके अंतर्गत उन्हें अंग्रेजी भाषा, कम्प्यूटर शिक्षा तथा सामान्य व्यवहार कौशल का ज्ञान 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के तहत इक्विटी इनिशियटिव घटक अंतर्गत स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार दिया जाना प्रस्तावित है।

योजना का लाभ :–

1. प्रदेश के महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी आंग्ल भाषा में संचार कौशल के साथ–साथ व्यक्तित्व विकास एवं कम्प्यूटर शिक्षा से प्रतिस्पर्धी बन सकेंगे।

2. कार्यक्रम अंतर्गत पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को रोजगार प्राप्ति में सहजता होगी। अधिक संख्या में रोजगार पाने से युवाओं के सामाजिक, आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

3. अंग्रेजी भाषा संचार दक्षता का पाठ्यक्रम पूर्ण करने के प्रमाण पत्र को प्राप्त करने के पश्चात प्रतिभागी अंर्तराष्ट्रीय स्तर की दक्षता मूल्यांकन करने वाली संस्थाओं की ऑन–लाईन परीक्षा में शामिल होने के योग्य होंगे।

4. पाठ्यक्रम पूर्ण करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को मूल्यांकन आधारित प्रमाण पत्र प्राप्त होगा।

5. इस कार्यक्रम के जरिये पाठ्यक्रम में शामिल विद्यार्थियों के सहपाठी/मित्रों में प्रेरकीय प्रभाव होगा जिससे अपनी संचार व व्यवहार कौशल दक्षता विकसित करने का माहौल प्रदेश के युवाओं में बनेगा तथा महाविद्यालय के संकाय सदस्यों की क्षमता का विकास भी होगा जिसका लाभ कालांतर में महाविद्यालय कि विद्यार्थियों को प्राप्त होता रहेगा।

कार्यक्रम का कियान्वयन :–

कार्यक्रम का कियान्वयन विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत जिला स्तर पर अधोलिखित अनुसार गठित समिति के माध्यम से किया जावेगा। समिति का स्वरूप –

- जिला कलेक्टर, अध्यक्ष
- प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय के सदस्य सचिव,
- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) के जिला स्तरीय अधिकारी, सदस्य
- संबंधित महाविद्यालय का प्राचार्य, सदस्य

- जिला कलेक्टर आवश्यकतानुसार अन्य किसी विषय विशेषज्ञ को भी समिति में आमंत्रित कर सकेंगे।

- कार्यक्रम कियान्वयन हेतु उक्त समिति के द्वारा भण्डार क्रय नियमों का पालन करते हुए निविदायें आमंत्रित की जायेगी एवं निविदा के माध्यम से कार्यक्रम को संचालित करने के लिये योग्य एवं श्रेष्ठ क्षमतायुक्त एजेंसी/फर्म का चयन किया जायेगा।

- समिति के द्वारा कार्यादेश एवं किये गये कार्यो के मूल्यांकन/निरीक्षण के पश्चात भुगतान की कार्यवाही भी जिला स्तर पर ही की जायेगी । इस हेतु महाविद्यालय स्तर पर संग्रहित शुल्कांश के अतिरिक्त धनराशि 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के अंतर्गत उपलब्ध करायी जावेगी।

- कार्यक्रम के अंतर्गत ए0पी0एल0 वर्ग के छात्रों से लागत मूल्य का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा तथा बी0पी0एल0 वर्ग के छात्रों से लागत मूल्य का 10 प्रतिशत का शुल्क लिया जायेगा । शेष राशि का भुगतान 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' अंतर्गत दिये गये आबंटन से किया जायेगा।

- कार्यक्रम के लिये सीमित राशि उपलब्ध है, अतः प्रत्येक जिले के लिये लक्ष्य निर्धारित करते हुए छात्रों की संख्या परिशिष्ट"अ" में संलग्न दर्शायी गयी है । उक्त संख्या से छात्रों की संख्या अधिक होने की दशा में प्रतिभागी संख्या बढायी जा सकती है किन्तु आबंटित संख्या से अधिक विद्यार्थियों को पूर्ण शुल्क का भुगतान करना होगा तथा इसका आंकलन,निर्धारण एवं निर्णय जिला स्तर पर कार्यक्रम की सफलता को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा।

- कार्यक्रम के संचालन हेतु शिक्षण–प्रशिक्षण संबंधी पाठ्यक्रम व अन्य विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर दिया हुआ है।

- निविदा आमंत्रित करने हेतु नियम एवं शर्तो आदि से संबंधित आवश्यक विवरण युक्त आदर्श प्रारूप परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। इस प्रारूप में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उपरोक्त समिति कोई भी परिवर्तन करने के लिये सक्षम है, किन्तु यह ध्यान रखा जावे कि कार्यक्रम के स्वरूप एवं गुणवत्ता में कोई ह्रास ना हो।

- विभागीय आंकलन के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी से शुल्क रू0 पॉच हजार से अधिक नही होना चाहिये । यद्यपि इसका निर्धारण निविदा के आधार पर ही किया जायेगा।

//परिशिष्ट "अ"//

शासकीय महाविद्यालयों की जिलेवार वर्गीकृत सूची

वर्ग	छात्र संख्या
वर्ग – A	
रायपुर	1500
दुर्ग	1500
राजनांदगांव	1000
बिलासपुर	1000
वर्ग – B	
कबीरधाम–कवर्धा	500
जगदलपुर	400
जांजगीर	300
कोरबा	400
रायगढ़	300
सरगुजा	300
बलौदा बाजार	200
महासमूंद	200
धमतरी	200
बालोद	200
कांकेर	200
वर्ग – C	
बेमेतरा	200
कोण्डागांव	200
दंतेवाडा	200
मुंगेली	200
जशपुर नगर	200
सूरजपुर	200
बलरामपुर	200
कोरिया	200
वर्ग – D	
गरियाबंद	50
नारायणपुर	50
सुकमा	50
बीजापुर	50
योग	10,000

//परिशिष्ट "ब"//

100 घण्टों के शिक्षण–प्रशिक्षण हेतु सुझावित पाठ्यक्रम अधोलिखित अनुसार है :–

क0	विषय	घटक	अवधि	अभ्युक्ति
1.	कम्प्युटर साक्षरता	कम्प्यूटर संचालन, वर्ड, एक्सेल, पॉवर प्वाईंट, पेंट ब्रश का उपयोग, पेन ड्राइव/सीडी–रीड एंड राईट, इंटरनेट (ई–मेल आई0डी0 बनाना, मेल करना सर्फिंग आदि का प्रयोगिक ज्ञान)	40 घण्टा	सैद्धांतिक कक्षायें–10 घंटे प्रायोगिक कार्य–30 घंटे
2.	संचारी अंग्रेजी कौशल	आधारभूत ग्रामर, वाक्य संयोजन व सामान्य अंग्रेजी शब्दों का ज्ञान, दैनिक जीवन संबंधी बातों का अंग्रेजी भाषा में वाक् व पठन कौशल अभ्यास के अतिरिक्त यूरोपियन स्टैण्डर्ड फ्रेमवर्क अंतर्गत निर्धारित पाठ्यक्रम ।	40 घंटे	सैद्धांतिक कक्षाए– 15 घंटे अभ्यास कार्य–25 घंटे
3.	व्यवहार एवं कौशल	जीवन के नैतिक मूल्य सद्भावनायुक्त व्यवहार, बातचीज के बेहतर तरीके, प्रभावी अभिव्यक्ति एवं शरीर की भाषा, मॉक साक्षात्कार, समूह चर्चा, योगाभ्यास आदि।	20 घंटे	सैद्धांतिक कक्षाये– 10 घंटे अभ्यास कार्य–10 घंटे

नोट – उक्त पाठ्यक्रम में आवश्यकतानुसार परिवर्तन जिला स्तर पर किया जा सकता है।

राज्य परियोजना कार्यालय
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
(उच्च शिक्षा विभाग)
शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक / 61 /2016/ नया रायपुर, दिनांक 02/05/2016

प्रति,

कलेक्टर(समस्त)
छत्तीसगढ़।

विषयः 'मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम' के कियान्वयन बावत।

संदर्भः छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय का पत्र कमांक 524/आर/301/2015/38-1 दिनांक 2.2.2016.

--0--

विषयांतर्गत संलग्न शासनादेश क. आर/301/2015/38-1 दिनांक 30.4.2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत 'मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम' के कियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। यह कार्यक्रम एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं, जिसके माध्यम से आपके जिले के महाविद्यालयीन युवाओं को अंग्रेजी भाषा, कम्प्यूटर शिक्षा एवं सामान्य व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण दिया जाना है। इससे उनकी रोजगारपरकता में वृद्धि होगी। कार्यक्रम का कियान्वयन 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के समदृष्टि पहल घटक (Equity Initiative Component) अंतर्गत किया जाना है। इस हेतु धनराशि 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

शासन की मंशा है कि योजना का कियान्वयन आगामी शैक्षणिक सत्र से आवश्यक रूप से किया जाए। इस हेतु आवश्यक होगा कि कार्यक्रम के कियान्वयन हेतु दिये गये दिशा निर्देशों के अनुरूप आपकी अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक तत्काल बुलाई जावे एवं निविदाएं तत्काल आमंत्रित की जावें। योजना के संबंध में गठित विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा (परिशिष्ट-एक), योजना से संबंधित मार्गदर्शिका (परिशिष्ट-दो), निविदा आमंत्रण हेतु प्रादर्श प्रारूप (परिशिष्ट-तीन) संलग्न प्रेषित है। स्पष्ट किया जाता है कि जिले की स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप इसमें आपकी अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा यथायोग्य संशोधन किया जा सकता है, बशर्ते कि कार्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में कोई कठिनाई न हो।

यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा विगत दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में इसे लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के अंतर्गत इस कार्यक्रम हेतु सीमित धन राशि उपलब्ध है। अतः आपके जिले के लिए छात्र संख्या का निर्धारण किया गया है। शासन की अपेक्षा है कि प्रथम चरण में निर्धारित संख्या में छात्रों को ही उक्त कार्यक्रम से लाभान्वित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। यदि उक्त संख्या से अधिक छात्र कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक हों तो उनसे संपूर्ण व्यय राशि लिया जाकर योजना का लाभ दिया जा सकता है। इस संबंध में योजना मार्गदर्शिका में उल्लेखित विस्तृत विवरण का अवलोकन किया जा सकता है। योजना के कियान्वयन में कोई कठिनाई होने पर अधोहस्ताक्षरी के दूरभाष क. 0771-2510208 एवं मो. नं. 9406268111 पर संपर्क किया जा सकता है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(भुवनेश यादव)
संयुक्त सचिव एवं परियोजना संचालक(रूसा)
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक 611 /2016/ नया रायपुर, दिनांक 02 /5/2016

प्रतिलिपिः—

1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.गं.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
4. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
5. संयुक्त सचिव (रूसा), भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
6. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
7. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
8. अपर संचालक,'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
9. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, ————छत्तीसगढ़
10. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छ.ग.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

11. आदेश फोल्डर

संयुक्त सचिव एवं परियोजना संचालक (रूसा)
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/उ.शि./301/2015/38-1 नया रायपुर, दिनांक 30/04/2016

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा संचालनालय,
रायपुर।

विषय :- 'मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम' के क्रियान्वयन बावत।

0-

राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयीन युवाओं को अंग्रेजी भाषा, कम्प्यूटर शिक्षा एवं व्यवहार कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने से संबंधित 'मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा जीवन कौशल विकास कार्यक्रम' के क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान करता है। योजना के संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत अनुशंसाएं, योजना मार्गदर्शिका एवं पादर्श निविदा प्रारूप पर भी सहमति व्यक्त की जाती है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' के इक्विटी एनीशियेटिव घटक के अन्तर्गत किया जाएगा एवं इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' अन्तर्गत की जाएगी।

2/ यह स्वीकृति वित्त विभाग के कम्प्यूटर क्रमांक 2016-38-00785-बी-3/416 दिनांक 23.4.2016 द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर)
(श्रीमती दुर्गा देवांगन)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांक उ.शि./301/2015/38-1 नया रायपुर, दिनांक 30/4/2016
प्रतिलिपि,
1. माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, रायपुर
2. माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
4. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग.शासन, मंत्रालय, नया रायपुर
5. संयुक्त सचिव (रूसा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली
6. सचिव, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
7. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़
8. कलेक्टर (समस्त), छत्तीसगढ़
9. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
10. परियोजना संचालक, 'राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान' उच्च शिक्षा, रायपुर
11. समस्त क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा, ---------छत्तीसगढ़
12. प्राचार्य, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छ.ग.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

13. आदेश फोल्डर

(हस्ताक्षर)
अवर सचिव,
छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,